इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2023—श्रावण 31, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

अधि. क्र. 15 UDH–3–3–4–0008–2022–अठारह–3.–मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, म.प्र. नगरपालिक निगम (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में, नियम 251 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए अर्थात :–

"251 वित्तीय शक्तियां –

सक्षम प्राधिकारियों में वेष्ठित वित्तीय शक्तियां निम्नानुसार होगी :–

अनुक्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	शहर/नगर की जनसंख्या	
		पांच लाख से अधिक	पांच लाख तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	निगम आयुक्त	रूपये पांच करोड तक	रूपये एक करोड तक
2	महापौर	रूपये पांच करोड से अधिक परंतु रूपये दस करोड से अधिक नही	रूपये एक करोड से अधिक परंतु रूपये पांच करोड से अधिक नही
3	मेयर–इन–कौंसिल	रूपये दस करोड से अधिक परंतु रूपये बीस करोड से अधिक नही	रूपये पांच करोड से अधिक परंतु रूपये दस करोड से अधिक नही
4	निगम	रूपये बीस करोड से अधिक	रूपये दस करोड से अधिक

परंतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपोजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा आयुक्त या मेयन–इन–कौंसिल को ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

अधि. क्र. 15 UDH–3–3–4–0008–2022–अठारह–3.–मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 355 एवं धारा 356 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, म.प्र. नगरपालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में :–

1. नियम 237 के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाए,

"237–प्रशासकीय अनुमोदन :–

अधिनियम के किन्ही भी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 238 के अनुपालन के अतिरिक्त और नियम 239 के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी समस्त कार्यों, आपूर्ति तथा सेवाओं हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगें। "

2. नियम 239 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए अर्थात :–

"239 वित्तीय शक्तियां –

विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों में वेष्ठित वित्तीय शक्तियां निम्नानुसार होगी :

अनुक्रमांक	प्राधिकारी	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रूपये पांच लाख तक	रूपये दो लाख तक
2	अध्यक्ष	रूपये पांच लाख से अधिक परंतु रूपये दस लाख से अधिक नही	रूपये दो लाख से अधिक परंतु रूपये पांच लाख से अधिक नही
3	प्रेसिडेन्ट–इन–कौंसिल	रूपये दस लाख से अधिक परंतु रूपये चालीस लाख से अधिक नही	रूपये पांच लाख से अधिक परंतु रूपये बीस लाख से अधिक नही
4	नगरपालिका परिषद	रूपये चालीस लाख से अधिक परंतु रूपये पांच करोड से अधिक नही	रूपये बीस लाख से अधिक परंतु रूपये दो करोड पचास लाख से अधिक नही
5	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	रूपये पांच करोड से अधिक परंतु रूपये तीस करोड से अधिक नही	रूपये दो करोड पचास लाख से अधिक परंतु रूपये तीस करोड से अधिक नही
6	राज्य सरकार	रूपये तीस करोड से अधिक	रूपये तीस करोड से अधिक

परंतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसिडेन्ट–इन–कौंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकेगी, जैसा की वह उपयुक्त समझे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. 15 UDH–3–3–4–0008–2022–अठारह–3.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15 UDH–3–3–4–0008–2022–अठारह–3, दिनांक 22 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

Bhopal, the 22nd August 2023

Notification No. 15 UDH-3-3-4-0008-2022-XVIII-3.-- In exercise of the powers conferred by section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Accounts and Finance) Rules, 2018, namely: -

AMENDMENTS

In the Said Rules, For Rule 251, the following Rule shall be substituted, namely: -

"251, Financial Powers:

The Financial Powers vested in the competent authorities shall be as under:-

S.No.	Competent Authority	City/Towns with population	
		more than five lacs	Up to five lacs.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Municipal Commissioner	Upto Rupees Five crores	Upto Rupees One Crore
2	Mayor	Exceeding Rupees Five crores but not exceeding Rupees Ten crores.	Exceeding Rupees One crore but not exceeding Rupees Five crores.
3	Mayor-in-Council	Exceeding Rupees Ten crores but not exceeding Rupees Twenty crores.	Exceeding Rupees Five crores but not exceeding Rupees Ten crores.
4	Corporation	Exceeding Rupees Twenty Crores	Exceeding Rupees Ten Crores

Provided that in case of Externally Aided Projects, Centrally Sponsored Schemes, Deposit Works or State Government Special Projects, the State Government, may by order, authorize Commissioner or Mayor in Council to exercise financial powers, as it may deem fit.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.

Bhopal, the 22nd August 2023

Notification No. 15 UDH-3-3-4-0008-2022-XVIII-3.-- In exercise of the powers conferred by section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipalities (Accounts and Finance) Rules, 2018, namely: -

:: AMENDMENTS ::

In the Said Rules, -

1. for rule 237, the following rule shall be substituted, namely: -
   "237-**Administrative Approval** –

   Without contrary to any provisions of the Act, in addition to compliance of Rule 238 and in accordance with provisions of Rule 239, the competent authorities shall exercise all powers for grant of administrative approval for all works, supplies and services.

2. For the Rule 239, following Rule shall be substituted, namely;
   "239-Financial Powers –

   The financial powers vested with various competent authorities shall be as under:

S.No.	Authority	Municipal Council	Nagar Parishad
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chief Municipal Officer	Up to Rupees Five Lacs	Up to Rupees Two Lacs
2	President	Exceeding Rupees Five Lacs but not exceeding Rupees Ten Lacs	Exceeding Rupees Two Lacs but not exceeding Rupees Five Lacs
3	President in Council	Exceeding Rupees Ten Lacs but not exceeding Rupees Forty lacs.	Exceeding Rupees Five Lacs but not exceeding Rupees Twenty Lacs
4	Municipal Council	Exceeding Rupees Forty Lacs but not exceeding Rupees Five crores.	Exceeding Rupees Twenty Lacs but not exceeding Rupees Two Crores and Fifty Lacs
5	Commissioner, Urban Administration, and development	Exceeding Rupees Five Crores but not exceeding Rupees Thirty Crores.	Exceeding Rupees Two Crores and Fifty Lacs but not exceeding Rupees Thirty Crores
6	State Government	Exceeding Rupees Thirty crores.	Exceeding Rupees Thirty Crores.

Provided that in case of Externally Aided Projects, Centrally Sponsored Schemes, Deposit Works or State Government Special Projects, the State Government, may by order, authorize Municipal Council/Chief Municipal Officer of the Municipality or President in Council, to exercise enhanced financial powers, as it may deem fit.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.